ग्राम पंचायत नग्गर, विकस खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्याः PCH-HC-(15)c(5) LAD/2006-12669, दिनाँक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नग्गर, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू का अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

(1) प्रधान

क्र0सं0	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री जिन्दु राम	1.4.15 से 31.12.15 तक
2	श्रीमती सुषमा शर्मा	1.1.16 से 31.3.18 तक

(2) सचिव

क्र0सं0	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री ओम चन्द	12／14 से 3／18 तक

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (₹)(लाखो में)
1	अनुदान राशियों का उपयोग न करना	6 (i)	3.16
2	गृहकर वसूली हेतु शेष	7	2.17
3	मोबाईल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	10	0.25
4	क्रिकेट मैदान को किराये पर न देने के कारण पंचायत को हानि	11	2.07

5	दुकानों के किराये की वसूली शेष	12	0.14
6	अप्रयुक्त निर्माण सामग्री की वसूली	16 (क) व (ख)	0.19
7	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	18	1.92

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत नग्गर, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं, श्री अजीत सिंह, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा नग्गर में किया गया। पंचायत निधि लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(क) सामान्य रोकड़ बही

वर्ष	आय	व्यय
2015–16	3/16	3/16
2016–17	1/17	1/17
2017–18	12/17	5/17

(ख) विकास कार्य निधि

वर्ष	आय	व्यय
2015–16	11/15	11/15
2016–17	11/16	3/17
2017–18	8/17	9/17

(ग) 14वें वित्तायोग की रोकड़ बही

वर्ष	आय	व्यय
2015–16	3/16	––
2016–17	1/17	3/17
2017–18	5/17	4/17

अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया गया। यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ग्राम पंचायत नग्गर, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। किसी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण होने, गलत होने अथवा

उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत नग्गर के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 आंका गया है। इस राशि को संस्था द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संख्याः 141309 दिनाँक 31.7.2018 के माध्यम से भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत नग्गर के स्वयं स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखों की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक की वित्तीय स्थिति निम्न विवरणानुसार हैः–

(क) स्वयं स्त्रोत निधि खाता (ए) परिशिष्ट "क (1)"

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष में प्राप्ति (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015–16	676470.50	2368452	3044922.50	1897302	1147620
2016–17	1147620.00	3038270	4185890.00	2561044	1624846
2017–18	1624846.00	625783	2250629.00	684550	1566079

बैंक समाधान विवरणीः–

रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	1566079
दिनाँक 31.3.2018 को बैंक में जमा राशि	1559708
अन्तर	6371
(–) जारी किये गए चैक जिसका दिनाँक 31.3.18 तक बैंक से भुगतान नहीं हुआ है	5000
(–) हस्तगत राशि	455
(दिनाँक 31.3.2018)	5455
कुल शुद्ध अन्तर	916

(ख) वित्तीय स्थिति विकास कार्य निधि खाता (बी)

परिशिष्ट "क (2)"

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष में प्राप्ति (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015–16	2142363.39	2716700	4859063.39	3398271	1460792.39
2016–17	1460792.39	1206811	2667603.39	1243218	1424385.39
2017–18	1424385.39	929445	2353830.39	964698	1389132.39

बैंक समाधान विवरणीः–

दिनाँक 31.3.2018 को रोकड़ बही का अन्तिम शेष	1389132.39	
दिनाँक 31.3.2018 को बैंक खाते का अन्तिम शेष	1387190.13	
अन्तर	1942.26	
अन्तर के कारण		
रोकड़ बही के माह 10/2015 का अन्तिम शेष	1060015.54	
माह 11/2015 में प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाई गई राशि	1058015.54	
	2000.00	
(–) माह 12/2015 में रोकड़ बही का अन्तिम शेष ₹54 से अधिक दर्शाया था	(–) 54	
(–) 50 पैसे या अधिक को राऊडिंग ऑफ करने के कारण अन्तर	(–) 3.74	
	1942.26	1942.26

टिप्पणीः– उपरोक्त वर्णित अन्तर के कारणों की रोकड़ बही में सुधारात्मक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) वित्तीय स्थिति 14वाँ वित्तायोग (परिशिष्ट "क (3)")

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**वर्ष में प्राप्ति (₹)**	**कुल राशि (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2015–16	–	1491043	1491043	–	1491043
2016–17	1491043	2154705	3645748	880734	2765014
2017–18	2765014	340177	3105191	2820486	284705

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना व बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) तथा 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी अपेक्षित थी। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक

खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का मिलान प्रत्येक माह के अन्त में बैंक खातों से किया जाना सुनिश्चित करते हुए बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31.3.2018 को स्वयं स्त्रोत निधि खाता (ए) की रोकड़ बही व बैंक खाते में कुल ₹916 का अन्तर था (विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है) जिसका समाधान शीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अनुदानः—

(i) ₹3.16 लाख की अनुदान राशियों का उपयोग न करना

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं जिनका विवरण (परिशिष्ट "ख" में दिया गया है, का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनाँक 31.3.2018 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹316079 की राशि शेष दर्शाई गई थी, जिससे प्रतीत होता है कि विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त अनुदानों का उपयोग समय सीमा के भीतर नहीं किया गया, जिसके चलते धन का अवरोध होने के अतिरिक्त ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाों से वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर न करते बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनाँक 31.3.2018 को जिन अनुदानों की व्यय करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उनसे सम्बन्धित शेष राशियों को खर्च करने हेतु अनुदानदाता प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना सुनश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख—रखाव न करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा खण्ड विकास कार्यालय से प्राप्त विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख या अनुदान रजिस्टर जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरणी दर्ज हो, अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनाँक 31.3.2018 को शेष राशियों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः वाँछित अभिलेख का रख—रखाव कर के नियमित रूप से अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹2.17 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्न विवरणानुसार दिनाँक 31.3.2018 को गृहकर के रूप में ₹218050 की राशि वसूली हेतु शेष थी जिस का विवरण **परिशिष्ट "ग, घ व ङ"** में दिया गया है।

वर्ष	गत शेष	वर्ष में प्राप्ति योग्य राशि	कुल राशि	वसूल की गई राशि	वर्ष के अन्त में शेष राशि
2015–16	137550	64650	202200	114050	88150
2016–17	88150	64650	152800	–	152800
2017–18	152800	64650	217450	–	217450

अतः गत दो वर्षों में गृहकर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त वसूली हेतु यथासम्भव प्रयास करके शेष राशि की प्राप्ति करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में गृहकर की वसूली यथासमय की जानी सुनिश्चित करें।

8 ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र में वाणिज्यिक भवनों व होटलों पर सम्पत्ति कर न लगानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, संकल्प के माध्यम से पूर्व प्रकाशन के उपरान्त ग्राम सभा क्षेत्र में आवासीय व वाणिज्यिक भवनों तथा पंचायत क्षेत्र में निर्मित होटलों पर सम्पत्ति पर अधिरोपित करने हेतु सक्षम है। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त करों की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत नग्गर एक पर्यटन स्थल क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र मे अधिकतर वाणिज्यिक भवन व होटल निर्मित हैं लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे सभी भवनों व होटल मालिको से आवासीय भवनों पर अधिरोपित करों की दर से सम्पत्ति कर लगाया गया है जो न तो नियमों की अनुपालना है और न ही ग्राम पंचायत की वित्तीय दृष्टि से उचित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में गाम पंचायत की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु परामर्श दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 32 में उपरोक्त अधिनियम की

धारा 104 में कृत प्रावधान का अनुसरण करते हुए अपेक्षित सम्पत्ति कर अधिरोपित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति को अधिक बेहतर बनाया जा सके।

9 स्थानीय मेलों में दुकानदारों से तहबाजारी शुल्क की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 53 दिनाँक 16.7.2018 द्वारा ग्राम पंचायत नग्गर के अधिकार क्षेत्र में आयोजित स्थानीय मेलों में लगाई गई अस्थाई दुकानों से तहबाजारी के रूप में अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक प्राप्त राशि बारे सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रधान ग्राम पंचायत नग्गर में अनुरोध किया गया था जिस के प्रत्युत्तर में बताया गया कि उपरोक्त अवधि में स्थानीय मेलों में लगाई गई अस्थाई दुकानो से तहबाजारी के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नहीं की गई क्योंकि गाँव कमेटी द्वारा ही गाँव से पैसा इकट्ठा करके मेलों का आयोजन किया जाता है तथा तहबाजारी का संग्रहण भी गाँव कमेटी द्वारा किया जाता है। तहबाजारी शुल्क की वसूली न करने बारे पंचायत द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 की उप–धारा (1) के अनुसार ग्राम पंचायत को स्थानीय मेलो में लगाई गई अस्थाई दुकानों पर तहबाजारी शुल्क की वसूली करने हेतु अधिकृत किया गया था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकृत शुल्कों की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत किये गये प्रावधानानुसार अपेक्षित करों की वसूली स्वयं की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 मोबाईल टावर शुल्क ₹0.25 लाख की वसूली शेषः–

ग्राम पंचायत नग्गर के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न मोबाईल कम्पनियों द्वारा स्थापित मोबाईल टावरों के शुल्क की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 31.3.2018 को ₹25125 की वसूली शेष थी जिस का विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है। अतः सम्बन्धित मोबाईल कम्पनी से आवश्यक पत्राचार करके शेष राशि की वसूली यथासमय करके प्राप्त राशि को पंचायत निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11 क्रिकेट ग्राऊंड को किराये पर न देने के कारण ग्राम पंचायत को ₹2.07 लाख की हानिः–

ग्राम पंचायत नग्गर की परिसम्पत्ति रजिस्टर व उनसे प्राप्त आय के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 15.7.2011 से 15.6.2012 तक क्रिकेट ग्राऊँड को सैलानी गतिविधियों के लिए ₹3000 प्रतिमाह की दर से किराये पर दिया गया था जिससे ग्राम पंचायत को ₹36000 सालाना आय प्राप्त हुई थी। लेकिन 15.6.2012 के उपरान्त इस मैदान को किराये पर नहीं दिया गया तथा इस प्रकार ग्राम पंचायत को अवधि 15.6.2012 से 31.3.2018 तक 69 माह के लिए ₹3000 प्रतिमाह की दर से ₹207000 की हानि हुई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित कार्यवाही करके क्रिकेट मैदान को किराये पर दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय अर्जित हो सके।

12 दुकानों का किराया ₹0.14 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षणाधीन अवधि में ग्राम पंचायत नग्गर द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के किराये की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनाँक 31.3.2018 को दुकानों के किराये के रूप में ₹13650 की राशि वसूली हेतु शेष थी जिनमें से कई दुकानों के किराये की वसूली चिरकाल से लम्बित थी। अतः यथासमय किराये की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा चिरकाल से लम्बित राशि की वसूली हेतु कारगर पग उठाए जाए व कृत कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाऐं।

क्र0सं0	किरायेदार का नाम	अवधि	कुल मास	दर (₹)	कुल राशि (₹)
1	श्री अमर चन्द सुपुत्र श्री केसू राम	6/17 से 3/18	10	300	3000
2	श्री अमर चन्द सुपुत्र	1/15 से 3/16	15	80	1200
	श्री लाल दास	4/16 से 3/18	24	100	2400
3	श्री दीपक सूद सुपुत्र	2/16 से 3/16	2	50	100
	श्री अमर चन्द सूद	4/16 से 3/18	24	80	1920
4	श्री सूरज भवान सुपुत्र श्री गोविन्द राम	पिछला बकाया राशि	–	–	1400
5	श्रीमती उषा देवी पत्नी	9/17 से 3/18	7	400	2800
	श्री युगल किशोर	2/18 से 3/18	2	400	800
				योग	**₹13650**

13 ग्राम सभा सदस्यों को मानदेय का अनुचित भुगतानः–

पंचायत सदस्यों के मानदेय के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया निम्नलिखित तिथियो को पंचायत सदस्यों के पंचायत सभा में अनुपस्थित रहने पर भी मानदेय का भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार उन्हीं पंचायत सदस्यों को मानदेय का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये हो। अतः इस प्रकार पंचायत सदस्यों को निम्न विवरणानुसार ₹1675 का अनियमित भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुचित रूप से कृत भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना की पुष्टि अभिलेख से अगले अंकेक्षण पर करवाई जाए।

मासिक बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों का विवरण

क्र0सं0	पंचायत सदस्य का नाम	वा0सं0	मासिक बैठक की दिनांक	भुगतान की गई राशि (₹)
1	श्रीमती कुल्जा देवी	13	24.1.15	200
2	श्रीमती कुल्जा देवी	13	9.2.15	200
3	श्रीमती कमलेश महाजन	8	24.3.15	200
4	श्री गोविन्द सिंह	30	29.4.15	200
5	श्री जगत राम	33	29.6.15	200
6	श्रीमती सुनिता देवी	81	9.10.16	225
7	श्रीमती कमलेश	81	9.11.16	225
8	श्रीमती कमलेश	81	26.11.16	225
			योग	**₹1675**

14 बिना मजदूरों के मिस्त्रियों को ₹424 का अनुचित भुगतानः—

(क) माह 11/2015 में वाउचर संख्याः 186 के द्वारा मस्ट्रोल संख्याः 123/648 जो निर्माण संराए जम्बलू देवता चचोगी के लिए श्री जगत राम (वार्ड सदस्य) को जारी किया गया था, का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनाँक 26.10.2015 को दो मिस्त्री काम पर दिखाए गए जबकि इस तारीख को कोई भी मजदूर कार्य पर उपस्थित नहीं था। अतः बिना मजदूर के दो मिस्त्रियों की मजदूरी ₹212 प्रति मिस्त्री की दर से ₹424 का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुचित रूप से किये गये भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत

से करके ग्राम पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

(ख) मस्ट्रोल में उपस्थिति का सत्यापन न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अधिकतर मस्ट्रोलों में दर्शाई गई उपस्थिति को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 102 में किये गये प्रावधानानुसार सत्यापित नहीं किया जाता तो नियमों के विरूद्ध है। अतः भविष्य में मस्ट्रोलों पर लगाई गई लेबर की उपस्थिति सारणी को भुगतान करने से पूर्व जाँच करना व सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

15 बिना उपस्थिति के मजदूरी के रूप में ₹3230 का अनुचित भुगतानः–

माह 11/2015 में वाउचर संख्याः 192 के द्वारा अवधि 1.8.2016 से 24.8.2016 हेतु जारी मस्ट्रोल संख्याः 636 जो सामुदायिक भवन राजा वली को पूर्ण करने से सम्बन्धित था, का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल में क्रम संख्या 12 पर श्री शुकरू राम बेलदार को 19 दिन का भुगतान ₹170 प्रतिदिन की दर से ₹3230 का भुगतान किया गया जबकि इस बेलदार की मस्ट्रोल में कोई हाजिरी दर्ज नहीं की गई थी। अतः बिना हाजिरी के श्री शुकरू राम को ₹3230 के अनुचित भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा बिना हाजिरी के किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना की पुष्टि अगले अंकेक्षण पर करवाई जाए।

16 निर्माण कार्य से शेष बची निर्माण सामग्री की कम मात्रा वसूली न करने के कारण ₹0.19 लाख की हानिः–

(क) कार्य का नामः– निर्माण एवं मुरम्मत सिंचाईं कूल्ह हरिन्द्र के बगीचे से संजू के घर तक

स्वीकृत राशिः– ₹125000

अनुदानदाताः– जिला परिषद

प्राप्तकर्ता वार्ड सदस्या का नामः–श्रीमती कमलेश महाजन

उपरोक्त कार्य में प्रयोग होने वाली निर्माण सामग्री को जारी करने सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित सामग्री स्टॉक रजिस्टर से जारी

की गई थी लेकिन माप पुस्तिका संख्याः 3956 के पृष्ठ 86 पर दी गई Material Consuption Statement के अनुसार जारी की गई निर्माण सामग्री की मात्रा से कम मात्रा का प्रयोग किया गया तथा शेष बची सामग्री को न तो पुनः स्टॉक रजिस्टर में जमा किया गया है और न ही किसी अन्य कार्य में इस का समायोजन किया है जिस का औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में अप्रयुक्त सामग्री को उपयोग मे न लाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य से शेष बची अप्रयुक्त सामग्री की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

सामग्री का नाम	**स्टॉक रजिस्टर अनुसार जारी मात्रा**	**माप पुस्तिका अनुसार उपयोग की गई मात्रा**	**अन्तर**	**खरीद पर प्रति cum**	**अप्रयुक्त सामग्रह की कीमत**
Stone	25 cum	21.19 cum	3.81 cum	1200	4572
Aggregate	9 cum	8.29 cum	0.71 cum	1200	852
Sand	13 cum	11.84 cum	1.16 cum	1100	1276
				कुल राशि	**₹6700**

(ख) कार्य का नामः– सड़क निर्माण मुख्य सड़क से भुवनेश्वर के घर तक

स्वीकृत राशि :– ₹100000

प्राप्तकर्ता वार्ड पंचः– श्री महेश्वर सिंह

माप पुस्तिका संख्याः 3956 पृष्ठ 94

वाउचर संख्याः– 25 माह 4/2015

इस कार्य हेतु दिनाँक 29.4.2015 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 42 के अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु खरीदी गई सामग्री हेतु निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया व स्टॉक रजिस्टर से जारी किया गयाः–

बजरी 850 cft @ ₹33	28050
रेत 510 cft @ ₹33	16830

लेकिन माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 94 पर बनाई गई Material Consumption Statement के अनुसार निम्नलिखित सामग्री उपयोग में लाई गई तथा शेष बची सामग्री को न तो स्टॉक रजिस्टर में जमा किया गया है और न ही किसी अन्य कार्य पर उपयोग की गई दर्शाई है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा शेष पड़ी अप्रयुक्त सामग्री की कीमत की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

सामग्री का नाम	स्टॉक रजिस्टर अनुसार जारी मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार उपयोग की गई मात्रा	अन्तर	दर (₹)	राशि (₹)
बजरी	850 cft	650 cft	200 cft	33	6600
रेत	510 cft	342-70 cft	167-3 cft	33	5521
				कुल राशि	**₹12121**

17 निविदाओं की शर्तों के विपरीत वैट के रूप में ₹1749 का अधिक भुगतानः–

ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न फर्मों से निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाली निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु प्राप्त निविदाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्राप्त निविदाओं में सामग्री के मूल्य पर अलग से मुख्य वर्धित कर (Vat) लगाने की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा निविदाओं की शर्तों के विपरीत सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को 5% की दर से मुख्य वर्धित करके रूप में निम्न विवरणानुसार ₹1749 का अनुचित व अधिक भुगतान किया है जिसका औचित्य अंकेक्षण पर स्पष्ट नहीं किया गया। अतः भुगतान करने से पूर्ण निविदाओं की शर्तों के विपरीत अधिक भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1749 के अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना की पुष्टि अगले अंकेक्षण पर करवाई जाए।

वा0सं0	क्रय की गई सामग्री	फर्म का नाम	बिल सं0	वैट के रूप में कृत भुगतान (₹)
16	रेत	मै0 हिमालयन स्टोन क्रैसर पीपलग जिला कुल्लू	623	158
18	रेत	–यथोपरि–	624	158
25	बजरी व रेत	मै0 मनोरमा स्टोन क्रैशर हुरला जिला कुल्लू	1849	330
29	बजरी व रेत	मै0 हिमालयन स्टोन क्रैशर	634	315
32	रेत व बजरी	–यथोपरि–	625	630
46	बजरी	–यथोपरि–	633	158
			योग	**₹1749**

18 औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना ₹1.92 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रयः–

भुगतान से सम्बन्धित निम्नलिखित वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5) के अन्तर्गत निर्माण सामग्री खरीदने हेतु निविदाऐं आमन्त्रित नहीं की थी जिससे प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नहीं उठाया गया है। अतः नियमों की उपेक्षा करके स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कृत व्यय को (एकल निविदा के आधार पर) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा इस सन्दर्भ मे की गई कार्यवाही की अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाऐं।

वा0सं0/माह	**खरीदी गई सामग्री**	**फर्म का नाम**	**भुगतान की गई राशि (₹)**
178/11/15	2500 ईंटें	श्री वीरेन्द्र नेगी	25000
195/10/15	रंग व पैन्ट	मै0 सूद हार्डवेयर व सैनिट्री स्टोर, डोबी	14950
196/11/15	–यथोपरि–	–यथोपरि–	19280
204/7/15	बाथरूम फीटिंग	–यथोपरि–	5985
205 से 207 तक	–यथोपरि–	–यथोपरि–	42515
84/3/17	रेत व बजरी	मै0 मधोरमा स्टोन क्रैशर	6600
78 व 79/3/17	रेत व बजरी	मै0 हिमालयन स्टोन क्रैशर	12600
42	लकड़ी स्लीपर	मै0 ज्ञान मल्होत्रा एण्ड सन्ज बजौरा जिला कुल्लू	65012
		कुल राशि	**₹191942**

19 ₹0.10 लाख की क्रय की गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित बिल/वाउचरों द्वारा क्रय की गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्रय की गई सामग्री को किस निर्माण कार्य पर कितनी मात्रा में उपयोग किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय की गई प्रत्येक सामग्री के इन्द्राज खरीद के उपरान्त तुरन्त सम्बन्धित रजिस्टरों में किये जाने अपेक्षित थे। अतः नियमों की अनुपालना न करके सामग्री के इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्टरों में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा क्रय की गई सामग्री के इन्द्राज स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में करके उसकी खपत का विवरण तैयार करके कृत कार्यवाही की पुष्टि अगले अंकेक्षण पर करवाई जाए।

वा0सं0	**माह**	**फर्म का नाम**	**बिल सं0**	**क्रय की गई सामग्री का विवरण**			
				मद का नाम	**मात्रा**	**दर**	**राशि**
46	1/15	मै0 चौहान स्पलायर नग्गर जिला कुल्लू	087	रेत	2 cum	1300	2600
				बजरी	3 cum	1300	3900
				बोल्डर	3 cum	1200	3600
					कुल राशि		**₹10100**

20 अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण द्वारा मौखिक रूप से बार–बार आग्रह करने के बावजूद भी जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जो एक गम्भीर विषय है। अतः अपेक्षित अभिलेख जाँच हेतु अगले अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत राशि (₹)**	**अनुदानदाता प्राधिकारी**
1	संराय देव अम्बल/राजावली को पूर्ण करना।	200000	एस0डी0पी0
2	निर्माण सामुदायिक भवन राजावली को पूर्ण करना।	297000	एल0ए0डी0ए0
3	निर्माण भवन त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर नग्गर	400000	एम0पी0 (एल0ए0डी0ए0)

21 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की जाँच करने पर पाया गया कि रसीद बुकों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउँट प्रमाण पत्र नहीं दिये गये थे। चयनित मासों में पाया गया कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत प्राप्त कुछ राशियों हेतु रसीदें नहीं काटी गई थी। अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुको की प्रविष्टियों तथा उनके शेषों सम्बन्धित पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओ बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितताओं की पुनरावृति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

22 सावधि जमा योजना में निवेश न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सवधि जमा योजना में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाता है तो उस राशि को पंचायत सभा में प्रस्ताव पारित कर के सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को सावधि जमा योजना पर मिलने वाले ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित हो सके। अतः अनुपालना हेतु सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में अतिरिक्त (Surplus) राशि का निवेश किसी निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा योजना में किया जाए ताकि बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की अपेक्षा सावधि जमा पर अतिरिक्त आय अर्जित हो सके।

23 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक छः माह बाद प्रत्यक्ष

सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–**इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

25 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(3) 32/18 खण्ड–1–8198–8201 दिनांक 15.12.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत नग्गर विकास खण्ड नग्गर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881